संख्या- 7/2020/294/63-व0उ0-2020-56(एच)/2019

प्रेषक,

रमा रमण
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन ।
2- आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर।
3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊः दिनांकः 17 मार्च, 2020

विषयः- **"उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेन्टिंग पालिसी-2017" के अन्तर्गत टेक्सटाइल पार्को को अनुमन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रक्रिया /दिशा-निर्देश।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं पूँजी निवेश को आकर्षित करने तथा अधिकाधिक रोजगार सृजन किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017, अधिसूचना सं0-236/63-व0उ0-2018-155 (एच)/2017 दिनांक 25.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित की गयी है तथा पत्र सं0-344/63-व0उ0- 2018-155(एच)/2017 दिनांक 12.02.2018 द्वारा उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017 की कियान्वयन योजना का शासनादेश निर्गत किया गया है। उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017 के प्रस्तर 2.2 एवं 2.4 तथा क्रियान्वयन योजना के उक्त शासनादेश दिनांक 12.02.2018 के प्रस्तर 6.19, 6.20 एवं 6.21 में वर्णित घटकों के सम्बन्ध में टेक्सटाइल पार्को को अनुमन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं:-

1	वित्तीय सहायता का विवरण	1. टेक्सटाइल पार्कों हेतु अनुमन्य सुविधाओं का घटकवार विवरण निम्नवत् है:- a. घटक-6.19 टेक्सटाइल औद्योगिक अस्थानों/पार्को हेतु भूमि लागत ब्याज उपादान b. घटक-6.20 आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ब्याज उपादान c. घटक-6.21 टेक्सटाइल पार्को/अस्थानों में स्टाफ क्वार्टर/ हास्टल/ डोरमेट्री के निर्माण हेतु ब्याज उपादान।
1.1	टेक्सटाइल औद्योगिक अस्थानों/ पार्को हेतु भूमि लागत ब्याज उपादान (घटक-6.19)	1. टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु भूमि के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की प्रतिपूर्ति की यह सुविधा गौतमबुद्ध नगर को छोडकर शेष उ0प्र0 में अनुमन्य होगी। II. प्रतिपूर्ति की धनराशि-देय वार्षिक ब्याज की 50 प्रतिशत 7 वर्षों तक देय होगी। नोटः- वार्षिक ब्याज के आगणन में दण्डात्मक ब्याज (Penal interest) को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। III. ''भूमि लागत ब्याज उपादान'' भूमि क्रय के दिनांक को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर आगणित किया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 एक करोड़ प्रतिवर्ष होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in